–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 24/2024

उनवान

जितेन्द्र कुमार पुत्र किशनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम गोदाम मण्डी, नसीराबाद, जरियें पावर आफॅ अर्टोनी होल्डर रितेश कंसल पुत्र सत्यनारायण जाति अग्रवाल निवासी 3080, पलसानिया रोड, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :– जरियें राज. पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 21.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 2881 रकबा 0.20 व 2894 रकबा 0.25 प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2295 मुख्य सडक से होकर अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 2896 का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 2881 रकबा 0.20 व 2894 रकबा 0.25 प्रार्थी की खातेदारी की है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 2295 से ग्राम के सिवायचक खसरा नम्बर 2896 की सरहद के किनारे सिवायचक खसरा नम्बर 2895 कर आंशिक भूमि का उपयोग करके आराजी खसरा नम्बर 2894 पर पहुचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट में अन्य मार्ग भी प्रस्तावित किया गया है, किन्तु उक्त मार्ग में सिवायचक खसरा नम्बर 2896 दो टुकडों में विभक्त होने से राजकीय भूमि का नुकसान होता है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता है। मौका रिपोर्ट में कोई विवाद प्रकट नही हुये है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। किन्तु आवेदक को कृषि कार्य के लिये 15 फिट रास्ता पर्याप्त है। अतः प्रार्थी उक्त आराजी में से 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसारः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बुबानिया के हाल खसरा 2896 में से 3492 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 2895 में से 23 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदलें 1,67,290/ अक्षरे एक लाख सडसठ हजार दो सौ नब्बे रूपये राजकोष मे भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:07:51 IST
Reason: SelfAttested